राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 38 / 2022

1. छोटूराम पुत्र भगवानाराम
2. रामजीलाल पुत्र भगवानाराम
   जाति गुर्जर निवासीगण माधोगढ़, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......प्रार्थीगण

ब–ना–म

1. अशोक कुमार पुत्र वालूराम जाति जांगिड़
2. किशोर पुत्र वालूराम जाति जांगिड़
3. धन्शीराम पुत्र भागूराम जाति गुर्जर
4. नागर मल पुत्र रामरख जाति जांगिड़
5. निरंजन पुत्र वालूराम जाति जांगिड़
6. प्रभूदयाल पुत्र रामरख जाति जांगिड़
7. परमेश्वरी पुत्री जगदीश प्रसाद जाति गुर्जर
8. वनवारी पुत्र नाराणा जाति जांगिड़
9. बसन्ती देवी पुत्री रामरख जाति जांगिड़
10. विरजू पुत्र वालूराम जाति जांगिड़
11. मालीराम पुत्र रामरख जाति जांगिड़
12. रणजीत सिंह पुत्र जगदीश प्रसाद जाति गुर्जर
13. राजेन्द्र कुमार पुत्र वालूराम जाति जांगिड़
14. राजवाला पुत्री जगदीश प्रसाद जाति गुर्जर
15. रामसिंह पुत्र वालूराम जाति जांगिड़
16. लक्ष्मी पत्नी राधेश्याम जाति जांगिड़
17. शीशराम पुत्र जगदीश प्रसाद जाति गुर्जर
18. सत्यनारायण पुत्र वालूराम जाति जांगिड़
19. सरती देवीपत्नी जगदीश प्रसाद जाति गुर्जर
20. सांवल पुत्र चन्द्र जाति जांगिड़ ...... **फोत**

20 / 1 मोहन पुत्र सांवल
20 / 2 किशनलाल पुत्र सांवल
20 / 3 बजरंग पुत्र सांवल
20 / 4 गणेश पुत्र सांवल
20 / 5 नेतराम पुत्र सांवल
20 / 6 संतोष पुत्री सांवल
20 / 7 सजना पत्नी स्व. रामनिवास पुत्रवधु सांवल
20 / 8 बलबीर पुत्र स्व. रामनिवास नवीरा सांवल
20 / 9 मंजू पुत्री स्व. रामनिवास नवीरा सांवल

समस्त जाति खाती निवासीगण माधोगढ़, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 17:22:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

21. हजारी लाल पुत्र हनुमान जाति गुर्जर निवासी माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री ग्यारसीलाल गुर्जर – प्रार्थीगण की ओर से

:: **निर्णय** :: **दिनांक 02–08–2022**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज0) में स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 46 के खसरा नंबर 393 रकबा 0.61 है., ख.नं. 396 रकबा 0.50 है., ख.नं. 397 रकबा 0.22 है., ख.नं. 401 रकबा 2.97 है. कुल किता 4 कुल रकबा 4.12 है. के अप्रार्थी सं. 1 लगायत 21 संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है और मौके पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उपरोक्त वर्णित भूमि के आगे ग्राम माधोगढ़ स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 27 के खसरा नंबर 348 रकबा 0.76 है., ख.नं. 349 रकबा 0.66 है., ख.नं. 351 रकबा 0.54 है., ख.नं. 352 रकबा 0.78 है., ख.नं. 353 रकबा 0.35 है., ख.नं. 354 रकबा 1.40 है., ख.नं. 367 रकबा 1.20 है., ख.नं. 368 रकवा 1.68 है., ख.नं. 369 रकबा 1.35 है., ख.नं. 370 रकबा 1.35 है., ख.नं. 389 रकबा 1.26 है., ख.नं.390 रकबा 1.60 है., ख.नं. 391 रकबा 1.24 है., ख.नं. 467 रकबा 0.33 है., ख.नं. 468 रकबा 0.31 है., ख.नं. 469 रकबा 0.49 है., ख.नं. 470 रकबा 0.46 है., ख.नं. 471 रकबा 0.51 है., ख.नं. 480 रकबा 0.14 है., ख.नं. 481 रकबा 0.18 है., ख.नं. 482 रकबा 0.26 है., ख.नं. 483 रकबा 0.23 है., ख.नं. 484 रकबा 0.13 है., ख.नं. 580 रकबा 0. 87 है., ख.नं. 582 रकबा 0.93 है., ख.नं. 583 रकबा 1.04 है., ख.नं. 584 रकबा 1.12 है. कुल किता 27 कुल रकबा 21.17 है. भूमि के प्रार्थीगण अन्य खातेदारान के साथ में संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 390 रकबा 1.60 है., खनं 391 रकबा 1.24 है. में आने जाने व साधन लाने ले जाने के लिए एक मात्र रास्ता खसरा नंबर 393 के दक्षिण में आम सड़क से उत्तर में प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में आने जाने के लिए आम रास्ते में से उत्तर दिशा में फटकर अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 21 की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 393 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे होता हुआ पूर्वी सीमा/मेड के सहारे–सहारे होता हुआ कदीम से आता जाता रहा है जिसे नजरी नक्शे में लाल सुर्ख स्याही से दिखाया गया है। उक्त रास्ते को नक्शा किश्तवार सन् 1979–80 में भी खसरा नंबर 393 की पूर्वी मेड/सीमा के सहारे–सहारे इसी भूमि में .... (डोट--डोट) मार्क से दर्शाया गया है। प्रार्थीगण का यह रास्ता कदीम से आवागमन के रास्ते के रूप में साधन लाने ले जाने के काम में आता रहा है जो 10 फुट चौड़ा है। उक्त रास्ता ही प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 390 रकबा 1.60 है., ख.नं. 391 रकबा 1.24 है. तक पहुंचने के लिए मौजूद है। इसके अलावा प्रार्थीगण के पास आने जाने व साधन लाने ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उक्त रास्ता कटान में नहीं होने से अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 21 रास्ते को काश्त कर देते हैं व अवरोध

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:12:24 IST
Reason: SelfAttested

कर देते हैं जिससे प्रार्थीगण को अपने खेत में काश्त के समय साधन लाने ले जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अनुसार प्रतिकर देने के लिए एवं भूमि के बदले भूमि भी देने का निवेदन किया तो उक्त अप्रार्थीगण इंकार हो गये। जबकि उक्त रास्ता प्रार्थीगण के कदीम से ही विद्यमान रहा है और यही से ही उपयुक्त रास्ता संभव है। इसलिए यह आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण इस प्रार्थना पत्र के जरिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की पालना करने के लिए तैयार व तत्पर है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके ग्राम माधोगढ़ तहसील खेतड़ी में स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 27 के खसरा नंबर 391, 390 में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 21 की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 393 रकबा 0.61 है. की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे 10 फुट चौड़ाई में रास्ता दिलवाया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नक्शा तरमीम किया जावे व उक्त रकबा के लिए धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राशि निर्धारित कर उसके खातेदारों को दिलाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1, 13, 15 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। अतः अप्रार्थी सं. 1, 13 व 15 का जवाब अवसर प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 12, 14 व 16 से 21 बावजूद सम्यक् तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार, खेतड़ी से विवादित भूमि के सम्बंध में मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व/2022/1963 दिनांक 30.03.2022 से बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत की है कि :–

1. राजस्व ग्राम माधोगढ़ के भूमि ख.नं. 390 रकबा 1.60 है. में जो प्रार्थीगण सहीत अन्य काश्तकारों की संयुक्त खातेदारी में है जहां प्रार्थी पक्के मकान बनाकर स्थायी रहवास कर रहे हैं इसलिये रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है।
2. प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता सुविधा के लिए मौके पर नहीं लगता है।
3. प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस में बिन्दु ए से बी तक लाल स्याही से दर्शित किया गया है तथा यह सबसे निकटतम एवं लघुत्तम दूरी का रास्ता बनता है। परन्तु रास्ते की मांग हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद व मौका जांच रिपोर्ट हेतु नियत दिनांक के नोटिस जारी कर तामील होने के बाद अप्रार्थीगण राजेन्द्र, रामसिंह वगैरह पिता बालूराम जाति जांगिड़ द्वारा मौके पर एक पक्का टीन सेड मकान (10x10) वर्गफीट सड़क के सहारे दीवार तथा उत्तर की तरफ जाने वाली सीमा पर भी 4 फीट ऊंचाई की दीवार पक्की का निर्माण कर लिया गया है। यह निर्माण प्रस्तावित रास्ते के मध्य से आने के कारण इसको हटाकर ही रास्ता दिया जाना संभव होगा।
4. प्रस्तावित रास्ता में आने वाली भूमि का क्षेत्रफल 36 x 3.25 = 117 वर्गमीटर भूमि रास्ता में जायेगी जिसकी डी.एल.सी. दर 21805/–रू. बनते हैं जिसकी दुगुनी राशि 43610/–रू. बनते हैं।

प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा, नकल जमाबन्दी संवत् 2075–2078 खाता सं. 27, खाता सं. 46 ग्राम माधोगढ़, नकल नक्शा किश्तवार सन् 1979–80 जारी क्रमांक 710 दिनांक 10.06.19 ग्राम माधोगढ़ तहसील खेतड़ी पेश किये।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:12:24 IST
Reason: SelfAttested

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी व भू–अभिलेख निरीक्षक बबाई का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। तहसीलदार, खेतड़ी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.03.2022 के संलग्न नजरी नक्शा भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बबाई में स्पष्ट किया है कि प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। प्रस्तावित रास्ते (नजरी नक्शा में दर्शित) के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम दूरी का रास्ता पहुंच के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को खसरा नंबर 391 में पहुंचने हेतु खसरा नंबर 393 में से प्रस्तावित (नजरी नक्शे में लाल स्याही से) मार्ग निकटतम होगा। तहसीलदार, खेतड़ी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी अवगत करवाया गया है कि अप्रार्थीगण राजेन्द्र, रामसिंह वगैरह पिता बालूराम जाति जांगिड़ द्वारा मौके पर एक पक्का टीन सेड मकान (10x10) वर्गफीट सड़क के सहारे दीवार तथा उत्तर की तरफ जाने वाली सीमा पर भी 4 फीट ऊंचाई की दीवार पक्की का निर्माण कर लिया गया है। यह निर्माण प्रस्तावित रासते के मध्य से आने के कारण इसको हटाकर ही रास्ता दिया जाना संभव होगा। प्रस्तावित रास्तें में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 36x3.25 = 117 वर्गमीटर बनता है। प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 391 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। अप्रार्थीगण ने उक्त एक पक्का टीन सेड मकान (10x10) वर्गफीट सड़क के सहारे दीवार तथा उत्तर की तरफ जाने वाली सीमा पर भी 4 फीट ऊंचाई की दीवार पक्की का निर्माण किया जाना पश्चात्‌वर्ती व जानबूझकर रास्ते में अवरोध पैदा करना साबित होता है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के प्रावधानों की पूर्ति करता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी दिनांक 30.03.2022 के प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम माधोगढ़ तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 391 रकबा 1.24 है. में जाने के लिए आम रास्ता अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 21 की खातेदारी भूमि ख.नं. 393 रकबा 0.61 है. में से 36x3.25 = 117 वर्गमीटर में पुख्ता आम रास्ता माधोगढ़–बबाई आम सड़क से ख.नं. 391 तक नजरी नक्शा (प्रदर्श–अ) में लाल स्याही से अंकितानुसार मार्क 'ए' से 'बी' कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। चूंकि प्रकरण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ते में अप्रार्थीगण द्वारा किये गये अनुचित निर्माण टीन शैड व दीवार को हटवाया जावे। अतः उक्त प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान DLC की दर से 117 वर्गमीटर भूमि की दुगुनी राशि 43610/–रू. (अक्षरे तियांलीस हजार छः सौ दस रूपये) प्रार्थीगण तहसीलदार, खेतड़ी के समक्ष जमा करवायेंगे। तहसीलदार, खेतड़ी खसरा नंबर 393 के खातेदारों/अप्रार्थीगण को प्रतिकार की राशि रू. 43610/– नियमानुसार अदा करेंगें। तदनुसार भूमि खसरा नंबर 393 के रकबे में से रास्ते की बाबत 117 वर्गमीटर भूमि निर्वापित कर राजस्व रिकार्ड मे किस्म ''गैर मुमकीन रास्ता'' के रूप में राजकीय खाते में अभिलिखित करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 02–08–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:12:24 IST
Reason: SelfAttested